आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 908 /इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2013-14

मे. कृष्णा आईल्स एंड प्रोटिन्स प्रा.लि., उज्जैन	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 2 (1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीके 9082 बी		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री श्रेया जैन, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री राजीब जैन, वरिष्ठ विभागीय जैन
सुनवाई तिथि	06.02.2019
उद्घघोषणा तिथि	07.02.2019

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत

तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । हालांकि हमने पाया कि निर्धारिती विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष सुनवाई के कई अवसरों पर उपस्थित नहीं हुआ है तथा हमारे समक्ष भी वह उसकी अपीलीय कार्यवाही में बारंबार अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने हेतु कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया । अतः हम निर्धारिती को निदेश देते है कि वह उपरोक्त व्यतिक्रम के लिए रु. 1000/- Cost के रूप में भुगतान करें । तत्पश्चात यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

आदेश 07.02.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 07.02.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल